FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (प्र) SDO मुकाम बायतु

उमाराम बडेरा बनाम कानाराम बडेरा

किस्म मुकदमा राजस्व अपील नं. 347 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/12/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/12/2021 को पेश हो।	
29/12/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील किस्म तामील अप्राप्त। कोविड गाइडलाइन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 18/05/2022 को पेश हो।	
18/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण संख्या-1, 2, 4 से 6, 8 व 19 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा व विप्रार्थी संख्या-1, 2 व 4 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थी संख्या-3, 7, व 9 से 18 तथा 20 से 45 बावजूद तामील	

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा पत्रावली विपक्षी संख्या- 5, 6, 8 व 19 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक- 30/05/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

30/05/2022

प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1, 2, 4 से 6, 8 व 19 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1, 2 व 4 की ओर से पूर्व में जवाब पेश किया गया था। विपक्षी संख्या- 5, 6, 8 व 19 की ओर से इनके अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। विपक्षी संख्या- 5, 6, 8 व 19 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली दिनांक- 01/06/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना, रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 829 　　　　　　　　　　　　दिनांक : 01/6/2022

प्रार्थी 　　　　　　**बनाम** 　　　　　　**विप्रार्थीगण**

1. उमाराम पुत्र नारणाराम वगैरा 09,
जाति जाट, निवासी हेमाणियों का तला,
पटवार मण्डल बाटाडु,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. करनाराम पुत्र कौलाराम वगैरा 45,
जाति जाट, निवासी हेमाणियों का तला,
पटवार मण्डल बाटाडु,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 347 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – हेमाणियों का तला, पटवार मण्डल – बाटाडु, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1403, 1525 रकबा क्रमशः 1.4643, 11.2936 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 830-834 　　　　　　　　दिनांक :

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री उमाराम पुत्र नारणाराम वगैरा 09,
4. विप्रार्थी श्री करनाराम पुत्र कौलाराम वगैरा 45,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु